अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री रायगा कृष्णैया द्वारा 'ओबीसी समूहों में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं' के संबंध में दिनांक 19.03.2025 को पूछा जाने वाला राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2111 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

1. भारत में अध्ययनरत ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों हेतु पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति: मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सभी मान्यता प्राप्त पोस्ट-मैट्रिकुलेशन या पोस्ट-सेकेंडरी पाठ्यक्रमों के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति दी जाएगी। माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत विगत वर्ष की उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	वित्तीय उपलब्धियां (₹ करोड़)	वास्तविक उपलब्धियां (लाख में)
2023-24	988.05	32.73

2. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों हेतु महाविद्यालय में शीर्ष श्रेणी की शिक्षा (2023-24 में शुरुआत): यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सभी संस्थानों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संचालित होगी। सभी आईआईएम/आईआईटी/आईआईआईटी/एम्स/एनआईटी/एनआईएफटी/एनआईडी/भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और केन्द्र सरकार के अन्य संस्थान इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत विगत वर्ष की उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	वित्तीय उपलब्धियां (₹ करोड़)	वास्तविक उपलब्धियां (संख्या)
2023-24	111.18	4762

3. महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना: इस योजना के तहत गरीब और मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वे छात्र जो कक्षा 12 में सफल अभ्यर्थियों के शीर्ष 20 प्रतिशतता में हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये तक है, वे आवेदन करने के पात्र हैं। प्रत्येक वर्ष 82,000 नए छात्रवृत्ति स्लॉट उपलब्ध होते हैं। इन्हें राज्य शिक्षा बोर्डों के मध्य राज्य की 18-25 वर्ष आयु वर्ग की आबादी के आधार पर बांटा गया है। 50% छात्रवृत्ति स्लॉट छात्राओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के तहत केन्द्रीय आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% सीटें निर्धारित की गई हैं, तथा योजनाबद्ध मानदंडों के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग छात्रों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया गया है। यह योजना दिनांक 1.1.2013 से डीबीटी के तहत शामिल की गई है, जिसमें छात्रवृत्ति सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में वितरित की जाती है। सीएसएसएस ने दिनांक 1.8.2015 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (www.scholarships.gov.in) शुरू कर दिया है। योजना के तहत विगत वर्ष की उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:

	कुल		ओबीसी	
वर्ष	**संवितरित राशि (₹ करोड़)**	**छात्रवृत्तियों की संख्या**	**संवितरित राशि (₹ करोड़)**	**छात्रवृत्तियों की संख्या**
2023-24	217.26	169790	114.10	90441

4. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हेतु पीएम-यूएसपी विशेष छात्रवृत्ति योजना: यह योजना केवल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए एसएसएस) के लिए है और इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को इन संघ राज्य क्षेत्रों के बाहर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना एवं उनके कौशल को बढ़ाना है, जिससे उन्हें देश के अन्य भागों में अपने समकक्षों के साथ विचार-विमर्श करने का अवसर मिलेगा और उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा बनने में सहायता मिलेगी। प्रति वर्ष 5000 नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं (सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 2070, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 2830 और चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 100)। इस योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति को अपनाया गया है, अर्थात अनुसूचित जातियों के लिए 8%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 20% और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिए 22%, आर्थिक एवं कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% तथा योजनाबद्ध मानदंडों के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग छात्रों के लिए क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया गया है। यह योजना डीबीटी के तहत शामिल है, जिसमें छात्रवृत्ति सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में संवितरित की जाती है। छात्रों को एआईसीटीई वेब पोर्टल - www.aicte-jk-scholarship.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। योजना के तहत विगत वर्ष की उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:

	कुल		सामान्य+एसईबीसी	
वर्ष	**मंत्रालय द्वारा एआईसीटीई को संवितरण हेतु जारी की गई राशि (₹ करोड़)**	**छात्रवृत्तियों की संख्या**	**मंत्रालय द्वारा एआईसीटीई को संवितरण हेतु जारी की गई राशि (₹ करोड़)**	**छात्रवृत्तियों की संख्या**
2023-24	200	11887	155	9059